न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 06 / 2024

उनवान

1.उमेश कुमार पुत्र बनवारी लाल उम्र 30 वर्ष जाति बलाई निवासी अमरसर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०) जरिये मुख्त्यारआम असलम खान पुत्र अब्दूल रहमान जाति मुसलमान निवासी अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. मनभर देवी उर्फ मनभरी देवी पत्नी टोडरमल जाति बलाई निवासी अमरसर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)
2. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक 25/07/24

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि आराजी ख0 न0 1517 / 1.24 है0 भूमि वाकै ग्राम पठानोकाबास अमसर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा पूर्ण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी भूमि जोत में पहुच के प्रयोजन के लिए खातेदारान अप्रार्थी सं०–1 के खसरा नं0–1516 / 0.83 है0 वाकै ग्राम पठानो का बास अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है।

आराजी ख0 न0 1517 / 1.24 है0 के उत्तर दिशा में से रास्ता के रूप में लेने के लिये व आवागमन में अप्रार्थी की जोत ख0 न0 1516 के अलावा अन्य रास्ता नही है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश है तथा जो रास्ता चाहा गया है नक्शे में उसे लाल स्याही से अंकित किया गया है। उक्त ख0 न0 1516 के उत्तर में अमरसर से काली माता रोड स्थित है जो आवागमन के लिए उपयोग उपभोग में आ रहा है ख0 न0 1516 के दक्षिण दिशा में प्रार्थी की जोत के ख0 न0 1517 लगते हुये है। प्रार्थी को अपनी जोते में आने जाने के लिये ख0 न0 1517 के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। इसलिए ख0 न0 1517 के लगते हुये 1516 में सडक तक 25 फुट चौडाई व लगभग 100 फुट लंबाई का प्रार्थी की जोत ख0 न0 1517 तक जाने हेतु नये मार्ग की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। तथा प्रार्थी ने आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से चिन्हित किया जाकर संलग्न किया है तथा उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व भाग है तथा प्रार्थी अप्रार्थी को वर्तमान सरकारी दर से असहमत होने प्रार्थी/अप्रार्थी को तयशुदा डीएलसी राशि अदा कर देगा तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि को प्रस्तावित नक्शा में तोतिया रंग से चिन्हित किया गया है। अन्त मे निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई एवं तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रार्थी सं0 01 की तामिल होने से व बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक रीडर/2024/907 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कि गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम पठानो का बास, अमरसर तह0 शाहपुरा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

के ख0 न0 1516 / 0.83 है0 एग्रोप्रोसेस एवं एग्रोबिजनेश अप्रार्थीगण खातेदार मनभर देवी उर्फ मनभरी देवी पत्नी टोडरमल जाति बलाई सा0 अमरसर खातेदार में से आवेदन किया गया है। उक्त चाहा गया रास्ता नवीन है। चाहे गये रास्ते की लंबाई 100 मीटर व चौडाई 04 मीटर अर्थात 400 वर्गमीटर है। आवेदन की खातेदारी भूमि में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त नवीन रास्ता भूमि ख0 न0 1522 / 14.32 है0 भूमि किस्म पहाड की खातेदारी सरकारी वन को जोडेगा जिससे ग्राम अमरसर से देवीपुरा जाने वाली डामरीकरण सडक को जोडता है। रास्ता नवीन ख0 न0 1516 में पश्चिमी सीमा पर उत्तरी दक्षिणी दिशा में प्रस्तावित है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली व तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम पठानोकाबास, अमरसर के आराजी ख0 न0 1517 में जाने के लिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुच मार्ग हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में अप्रार्थीगण के आराजी ख0 न0 1516 / 0.83 है0 भूमि में रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर ग्राम पठानोकाबास , अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के आ0ख0नं0 1516 रकबा 0.83 है0 में से 100 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई कुल रकबा 0.04 है0 अर्थात 400 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान / अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/07/24...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर), राजस्थान

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर